बिहार सरकार
अनुमण्डल कार्यालय,
महाराजगंज
(गोपनीय शाखा)

दूरभाष - 06153-243491 (कार्यालय)
मोबाईल न0 – 9473191276
Email:sdo.maharajganj@gmail.com

पत्रांक 315 /सी0, दिनांक 21.3.2023

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– दैनिक समाचार पत्रों में अति अल्पकालीन विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक–15.03.2023 को सम्पन्न अनुमण्डलीय चयन समिति (विकास मित्र), महाराजगंज द्वारा निर्णय लिया गया है, कि महाराजगंज अनुमण्डल अन्तर्गत विकास मित्रों के रिक्त पद के विरूद्ध नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि विकास मित्र के रिक्त पदो के विरूद्ध नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– विकास मित्र नियोजन हेतु विज्ञापन का
आम सूचना 05 प्रति (सी0डी0 सहित)।

विश्वासभाजन

21/3/23

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
अनुमण्डल कार्यालय,
महाराजगंज
(गोपनीय शाखा)

दूरभाष - **06153-243491** (कार्यालय)
मोबाईल न0 – **9473191276**
Email:sdo.maharajganj@gmail.com

आम सूचना

विकास मित्र नियोजन हेतु विज्ञापन

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुरहाट, दरौंदा, लकड़ी नबीगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विकास मित्र के पद पर नियोजन हेतु वर्तमान में रिक्ति निम्नवत् है :—

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	दरौंदा	रसूलपुर	चमार जाति महिला	
2	दरौंदा	जलालपुर	चमार जाति अन्य	
3	लकड़ी नबीगंज	बसौली	मुसहर जाति अन्य	
4	भगवानपुर हाट	बिलासपुर	मुसहर जाति महिला	
5	नगर पंचायत, महाराजगंज	वार्ड समूह 01 से 04	डोम जाति महिला	

प्रस्ताव :—1— मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार पटना के पत्रांक—1586, दिनांक—05.09.2016 के पत्र में अनुलग्नक मार्ग—दर्शिका के आलोक में विकास मित्र के पद पर चयन के लिए **अर्हता/योग्यता** निम्नवत् होगी :—

(क)— आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता से होंगे।

(ख)— जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, उसी पंचायत के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा।

(ग)— आवेदक का शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले आवेदक को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :—

(a)—नन मैट्रिक
(b)—नवम् वर्ग पास
(c)—अष्ट्म वर्ग पास
(d)—सप्तम् वर्ग पास
(e)—षष्ट्म वर्ग पास
(f)—पाँचवा वर्ग पास।

सर्वप्रथम नन मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम में चयन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जाएगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हों तथा उन्हें सामाजिक कार्यो में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों।

(घ)— आवेदक का उम्र—सीमा दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए।

(ड़)– विकास–मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा नियोजन के पश्चात् उनका चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति अनुमण्डल पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(च)– संविदा आधारित नियोजन विकास मित्र द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र असत्य पाए जाने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

(छ) विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा।

(ज)– चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाए जाने की स्थिति में चयन समिति (विकास–मित्र), महाराजगंज द्वारा उसके नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

(झ)– नोडल पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी (महादलित मिशन) या महादलित विकास मिशन से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में रिक्ति के विज्ञापन में संशोधन/रद्द किया जा सकता है।

(ञ) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ऑफलाईन माध्यम से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा। आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज अभ्यर्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा देगें। **आवेदन पत्र के साथ निवास, जाति एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।**

(ट) **आवेदन पत्र केवल हाथों–हाथ** ही संबंधित कार्यालय में स्वीकार किये जायेगें। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन/डाक या किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव :– 2–अनुमण्डलीय चयन समिति विकास मित्र, महाराजगंज की दिनांक–15.03.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार विकास मित्र पद पर नियोजन हेतु समय–सारणी निम्नवत् होगा :–

1	रिक्त स्थानों वाले जगहों पर विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।	दिनांक–05.04.2023 से दिनांक–28.04.2023 तक
2	मेघा सूची तैयार करना एवं प्रखण्ड/पंचायत में प्रकाशन करना।	दिनांक–04.05.2023
3	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदन।	दिनांक–08.05.2023
4	चयन सूची पर आपति प्राप्त करना एवं निराकरण कर नियोजन सूची का प्रकाशन।	दिनांक–09.05.2023 से दिनांक–.15.05.2023 तक
5	नियोजन पत्र का वितरण, शपथ–ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला।	दिनांक–18.05.2023

ह० 15/03/23
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी
महाराजगंज।

ह० 15/3/23
अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।